उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-183/2018/3097/92-2-18-75जॉच/2017
लखनऊ:: दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में विधानसभा क्षेत्र कैराना के कार्यो पर अंकन रू0 1,02,056.00 का व्यय ऐसी मदों पर किये जाने जो कि विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य नही थे, में की गयी वित्तीय अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/2018/428/92-2-18-75जांच/2017 दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शामली के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-जी-1079/ग्रा0अ0वि0/कैम्प-नि0मु0अ0/जांच-शि0शि0/2018-19 दिनांक 04.08.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में यदयपि अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित नही पाया गया, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य धनराशि को ऐसे मदों पर व्यय किया जाना जो विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य नही थे, के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी से शासन के पत्र सं0-2035/92-2-18-75जांच/2017 दिनांक 16.10.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दि0 27.11.2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में विधायक निधि योजनांतर्गत अनुमन्य धनराशि का व्यय जो तत्समय अन्य कार्यालय मदों पर व्यय किया गया, उसे बाद में सुधार कर कन्टीजेन्सी मद निर्धारित करते हुये सम्पूर्ण धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वापस कर दी गयी, जिसमें किसी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा किया गया यह कृत्य प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जिसके लिये अपचारी अधिकारी, श्री मनोज कुमार गर्ग के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-02-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें भविष्य के लिये सचेत करते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-183/2018/3097 (1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शामली सम्प्रति परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रखण्ड-रामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।